न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 61/2019 **दायरा दिनांक : 30.07.2019**

उनवान

1– रतन लाल वल्द शोलाल, जाति मीणा

2– दौलत राम वल्द शोलाल, जाति मीणा

3– छोटी बाई बेवा शोलाल, जाति मीणा

अकवाम निवासीगण ग्राम पाडल्या, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... अपीलांटगण

बनाम

1– प्रेम वल्द अमरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम पाडल्या, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– मदन लाल वल्द अमरा, जाति मीणा, निवासी ग्राम पाडल्या, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :–

2/1– कम्पूडी बाई पुत्री मदन जोजे रमेश, जाति मीणा, निवासी पीपलखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिलाब बारां

2/2– मन्जू बाई पुत्री मदन जोजे बाबू लाल, जाति मीणा, निवासी लसूडियाशाह, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2/3– केदान बाई पुत्री मदन जोजे बनवारी लाल, जाति मीणा, निवासी रीछवां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2/4– मोनू पुत्र मदन, जाति मीणा, निवासी ग्राम पाडल्या, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2/5– सोनू पुत्र मदन, जाति मीणा, निवासी ग्राम पाडल्या, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

2/6– आशाराम पुत्र मदन, जाति मीणा, निवासी ग्राम पाडल्या, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3– घासीलाल वल्द अमरा, जाति मीणा

4– जगदीश वल्द अमरा, जाति मीणा

5– पांथू लाल वल्द अमरा, जाति मीणा

6– झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा, अकलेरा, जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – अभिभाषक श्री सी. पी. खण्डेलवाल अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 30.06.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 150/दावा/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पाडल्या पटवार हल्का अमृतखेड़ी, तहसील अकलेरा के माल में खतौनी संख्या नयी 68 व पुरानी 3 की खसरा नम्बर 36 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 38 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 46 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल 6 किता की 7 बीघा 19 बिस्वा स्थित है जिसके सम्बन्ध में विवाद है। वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते की आराजी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 20.01.2009 विधि एवं न्याय के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक तरफा रूप से पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन पत्र प्राप्त होने के बाद

डॉ0 अनुपमा टैलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया एवं आपत्तियां पेश करने का भी अवसर प्रदान नहीं किया एवं पटवारी हल्का द्वारा भी मौके पर अपीलांट को नहीं बुलाया गया केवल मात्र वकील वादी की सहमति के आधार पर फाईनल डिक्री जारी कर दी जो बंटवारे के नियमों के सर्वथा विपरीत है । विवादित आराजी के मामले में प्रस्तुत विभाजन पत्र बंटवारे के नियमों के पूर्णतया विपरीत है । विभाजन पत्र बनाने में बंटवारे के नियम 18 से 21 की कोई पालना नहीं की गई और विभाजन पत्र भी तहसीलदार द्वारा नहीं बनाया गया । मौके पर पक्षकारान के कब्जे का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। खसरा नम्बर 46 व 42 की अपीलांट के कब्जे की आराजी रेस्पोडेंट वादी को गलत रूप से दे दी गई जो अवैधानिक है । विवादित आराजी कुल 5 किता की थी विभाजन पत्र में हर खसरा नम्बर के टुकड़े कर दिये, जबकि कानूनन सम्भवतया पक्षकारान के कब्जे का ध्यान रखकर विवादित आराजी के कम से कम टुकड़े किये जाने चाहिये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा पत्र पर भी कोई उचित गौर नहीं किया । बंटवारा पत्र में कोई नक्शा भी नहीं बनाया गया । बंटवारा पत्र दिनांक 26.12.2008 आई. एल. आर. द्वारा बनाया जाना प्रतीत होता है जो अवैधानिक है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.06.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट गुणावगुण के आधार पर रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.01.2009 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2022 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा